वाद सं. 143/09 सोहनलाल बनाम सरकार

30/5/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप.। पैरोकार सरकार उप.। वादी अधिवक्ता द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश 22 नियम 3 जा. दीवानी की जवाब। बहस हेतु दिनांक 12/6/25 को पेश हो।

30/5/25

12/6/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधि. उप.। पैरोकार सरकार उप.। वादी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व नियम 9 सपठित धारा 151 जा. दीवानी तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुये निवेदन किया कि वादी की मृत्यु दिनांक 29/5/13 को होने के उपरान्त प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण में कायम मुकाम का आवेदन प्रस्तुत करने का ज्ञान नहीं था, हाल में अन्य प्रकरण में अधिवक्ता से जानकारी करने पर निर्धारित समयावधि 90 दिवस में आवेदन करने की जानकारी प्राप्त हुई। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के होकर कानून की बारीकी की जानकारी से अनभिज्ञ है जिसके कारण प्रार्थना पत्र निर्धारित समय में पेश करने में असफल रहे है। अतः प्रस्तुत वाद अचल सम्पत्ति कृषि भूमि से सम्बन्धित होने के कारण वाद में उपशमन (अबेटमेंट) को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश जारी किया जावे।

अप्रार्थी। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुये सीधे ही बहस की गई तथा निवेदन किया गया कि वादी की मृत्यु दिनांक

— लगातार —

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण सं. 143/2019 सोहनलाल उनवान सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

दिनांक		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/5/25	29/5/2013 को होने के उपरान्त से 11 वर्ष 6 माह से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात पद कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। यद्यपि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, परन्तु विलम्ब अवधि के प्रत्येक दिवस के विलम्ब का कारण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। मियाद अधिनियम में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रत्येक दिवस के विलम्ब का कारण अंकित नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा वादी पर भारी से भारी शास्ति आरोपित की जावे। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा रिबीटल बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अचल सम्पत्ति से सम्पत्ति से सम्बन्धित होकर वादी के हितों के निर्धारण हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः मामला अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में उभयपक्षकारान अधिवक्ता पैरोकार सरकार की बहस का मनन एवं चिन्तन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा सम्बन्धित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रकरण में वादी की मृत्यु दिनांक 29/5/13 को होने के 11 वर्ष 6 माह 25 दिवस उपरान्त प्रार्थना पत्र बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मृत्यु वर्ष 2017 में होने का अंकन किया गया जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र तलब किये जाने पर मृत्यु की वास्तविक तिथि दि. 29/5/13 होना प्रमाणित पाया गया साथ ही प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वकालतनामे पर वादी के कुल 7 वारिसान के स्थान पर 4 वारिसान की ओर से वकालतनामा हस्ताक्षरित है। इस प्रकार 3 वैधिक वारिसान द्वारा वकालतनामा भी नहीं दिया गया है। प्रार्थना पत्र पर वादी की वैधिक वारिस सोहनी देवी पत्नि स्व. प्रेमशंकर चौबे के हस्ताक्षर नहीं है।	

—लगातार—

[illegible] 26
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

143/2009 सोहनलाल बनाम सरकार

12/5/25 प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के प्रत्येक दिवस के विलम्ब का कारण अंकित नहीं किया गया है और यह कहकर कि प्रार्थीगण को कानून की जानकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश हुआ है अपने कानूनी अधिकारों से उन्मुक्त नहीं हो सकता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व नियम 9 सपठित धारा 151 जा. दीवानी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में वादी की मृत्यु के 11 वर्ष 6 माह 25 दिवस के विलम्ब को क्षम्य (उपशमित) किया जाना प्रथमदृष्टया स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अतएव

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व नियम 9 सपठित धारा 151 जा. दीवानी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाता है और प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा. दीवानी खारिज होने एवं एकमात्र वादी होने से कोई वादी शेष नहीं रहने से विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

12/5/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. सोहन लाल पिता देबीचन्द जी जाति चौबे आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 रा0 टी0 एक्ट
बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 143/2009 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन उपस्थित एवं पैरोकार सरकार उपस्थित– इस वाद में आज तारीख 12.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व नियम 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाता है और प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जाब्ता दीवानी खारिज होने एवं एकमात्र वादी होने से कोई वादी शेष नहीं रहने से विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

12/5/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा